भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मनोविद चिकित्सक के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

ग्रा. सामंत

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. . ...:- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (श्रेणी-III पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक के पद से है, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	29* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) नोट: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : i. विज्ञान विषयों के साथ 10+2 एवं किसी मान्यताप्राप्त सरकारी संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित एक वर्ष का संबंधित क्षेत्र का अनुभव वांछनीय: चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक डिग्री। **टिप्पण-1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती: टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर रहने अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रुपए) के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति: अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष प्रयोगशाला विभाग के अध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य उपनिदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य	लागू नहीं होता।

[ए. 11018/21/2018-एमएच-II]

(जी पी सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार